बिहार सरकार

खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक– 28.3.18

सं0सं0–प्र0–01–रा0(आ0)– 09/17–1632......./एम0, श्री उपेन्द्र कुमार पासवान, खनिज विकास पदाधिकारी, अंचल कार्यालय, मुंगेर प्रभारी पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय, खगड़िया को बिहार लघु खनिज नियमावली, 2017 के लागू होने के संदर्भ में विभागीय निदेशानुसार विज्ञापन प्रकाशन एवं रॉयल्टी से संबंधित कार्रवाई करने के निदेश के आलोक में जिलाधिकारी, खगड़िया द्वारा उन्हें बुलाकर इस संदर्भ में समीक्षा की कयी तो श्री पासवान के द्वारा इस संबंध में अनभिज्ञता जाहिर की गयी तथा उनके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, जिसके कारण विज्ञापन प्रकाशन की कार्रवाई में विलम्ब हुई साथ ही दिनांक 01.11.2017 से कार्य विभागों द्वारा रॉयल्टी काटकर जमा किये जाने की नई प्रक्रिया के संदर्भ में दिनांक 20.10.17 को जिलाधिकारी, खगड़िया द्वारा तकनीकी पदाधिकारी की बैठक की गयी, जिसमें वे बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहे तथा दूरभाष से वार्ता कारने पर भी उनके द्वारा बताया गया कि वे एक सप्ताह तक अनुपस्थित रहेंगे। श्री पासवान के अनुशासनहीनता, कार्य के प्रति लापरवाही, उच्चाधिकारियों के आदेश के उल्लंघन एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम के प्रतिकूल आचरण के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 7272/एम0 दिनांक 27.11.2017 से उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. विभागीय कार्यवाही संचालन के उपरांत संचालन पदाधिकारी की जाँच प्रतिवेदन दिनांक 24.01.18 को प्राप्त हुआ। जाँच प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप संख्या 1 एवं 2 प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया। आरोपित पदाधिकारी से संचालन पदाधिकारी से प्राप्त मंतव्य के आलोक में विभागीय पत्रांक 566/एम0 दिनांक 29.01.18 तथा स्मार पत्र 856/एम0 दिनांक 13.02.18 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी। आरोपित पदाधिकारी से द्वितीय कारण पृच्छा उनके पत्रांक 68 दिनांक 16.02.18 से प्राप्त हुआ, जिसकी समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरांत इसे अस्वीकृत किया गया।

3. प्रमाणित आरोपों के दृष्टिगत में विभागीय कार्यवाही पर सम्यक विचारोपरांत दोषी पाते हुए श्री उपेन्द्र कुमार पासवान, खनिज विकास पदाधिकारी, अंचल कार्यालय, मुंगेर के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) संशोधन नियमावली, 2007 के अन्तर्गत निम्न शास्ति अधिरोपित की जाती है:–

i- निन्दन

ii- नियम–14(v) असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि रोक।

4. प्रस्ताव में सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(सुशील कुमार)

सरकार के अवर सचिव

कृ0पृ0उ0

ज्ञापांकः—.. प्र0—.01—रा(आ0)—09 / 17...................... / एम0, पटना, दिनांक.....................................
प्रतिलिपिः— महालेखाकार, बिहार, पटना / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / —
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः—.... प्र0—.01—रा(आ0)—09 / 17........................... / एम0, पटना, दिनांक.............................
प्रतिलिपिः— जिला कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / —
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः—. प्र0—.01—रा(आ0)—09 / 17.............................. / एम0, पटना, दिनांक.............................
प्रतिलिपिः— प्रमण्डलीय आयुक्त, मुंगेर / जिला पदाधिकारी, खगड़िया / मुंगेर / उप निदेशक, अंचल कार्यालय मुंगेर / श्री उपेन्द्र कुमार पासवान, खनिज विकास पदाधिकारी, अंचल कार्यालय, मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 / —
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः—.. प्र0—.01—रा(आ0)—09 / 17......1632......... / एम0, पटना, दिनांक....28.3.18........
प्रतिलिपिः— माननीय मंत्री के आप्त सचिव / प्रधान सचिव के आप्त सचिव / निदेशक कोषांग / विशेष सचिव कोषांग / आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

28/3/18

सरकार के अवर सचिव